न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03 / 2020 (2020 / 00201) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवा पुत्र सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—प्रभुलाल पुत्र सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—प्रेमी पुत्री सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कैलाशी पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—लेहरी बेवा सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—भैरा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—प्यारा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—उदा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नारायण पुत्र नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—लछमण पुत्र नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—पारस पुत्र नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—धीसी पत्नि नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का खेमाणा के ग्राम गोविन्दपुरा के नवीन आराजी संख्या 251 / 169 रकबा 0.84 है0 भूमि मे से 0.22 है0 भूमि उत्तरी पश्चिमी भाग पर मौका स्थिति अनुसार खातेदार नारायण पारस लछमण पिता नानुराम धीसी पत्नि नानुराम के बजाय उदा प्यारा भैरा पिता हीरा के नाम दर्ज की जावे और इस रकबे के बजाय आराजी संख्या 250 / 169 रकबा 0.85 है0 मे से 0.22 है0 भूमि आराजी संख्या 250 / 169 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम तक मौका स्थिति अनुसार प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल के बजाय नारायण पारस लछमण पिता नानुराम धीसी पत्नि नानुराम के नाम दर्ज की जावे। आराजी संख्या 168 रकबा 0.22 है0 भूमि खातेदार उदा प्यारा भैरा पिता हीरा के बजाय प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल के नाम दर्ज की जाकर राजस्व नक्शे में इसी अनुसार संशोधित तरमीम की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:30:03 IST
Reason: SelfAttested

24/08/2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03/2020 (2020/00201) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवा पुत्र सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—प्रभुलाल पुत्र सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—प्रेमी पुत्री सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कैलाशी पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—लेहरी बेवा सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—भैरा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—प्यारा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—उदा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नारायण पुत्र नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—लछमण पुत्र नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—पारस पुत्र नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—घीसी पत्नि नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सरहद गोविन्दपुरा पूर्व राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 169 रकबा 1.71 हैक्टयर जिसके बाद विभाजन नवीन बटा नम्बर 250/169 251/169, 252/169 है, जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 लगायत 07 के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 667/2 है। इसी प्रकार सरहद गोविन्दपुरा पूर्व राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 168 रकबा 0.22 हैक्टयर जो कि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के नाम पर दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 667/1 है। साबिक आराजी नम्बर 667/1 जो कि साबिक आराजी नम्बर 667/2 के उत्तर दिशा की ओर साबिक नक्शे में तरमीम है। हाल ही में विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे दखलदांजी पैदा की व प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि को अपनी होना बताया, इस पर [illegible] द्वारा पटवार हल्का से जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की व साबिक [illegible] की नकले प्राप्त की तो प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि राजस्व क[illegible] द्वारा लापर[illegible] पूर्वक तरीके से साबिक आराजी नम्बर 667/1 जिसके नवीन आराजी नम्बर 168 है [illegible] साबिक आराजी नम्बर 667/2 के उत्तरी भू भाग की तरफ तरमीम नही कर आराजी नम्बर 667/2 [illegible] दक्षिणी भाग की तरफ गलत तरमीम कर दी, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:30:03 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान आराजी नम्बर 168 जो आराजी नम्बर 169 के दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम है, जो गलत तरमीम है। प्रार्थीगण राजस्व नक्शे मे तरमीम दुरूस्त करा, साबिक नक्शे अनुसार आराजी नम्बर 168 को आराजी नम्बर 169 के उत्तर दिशा में तरमीम करवाने व वर्तमान आराजी नम्बर 168 को आराजी नम्बर 169 का भू भाग के रूप मे तरमीम कराया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का खेमाणा की आराजी संख्या 169 रकबा 1.71 है0 जिसके बाद विभाजन बटा नम्बर 250 / 169, 251 / 169, 252 / 169 है जिसको साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करा, उक्त आराजी के दक्षिण दिशा की तरफ गलत आराजी संख्या 168 को हटा आराजी संख्या 169 के उत्तर दिशा की तरफ साबिक नक्शे अनुसार तरमीम कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है तथा विपक्षी संख्या 8 तहसीलदार रायपुर की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण के नाम आराजी संख्या 252 / 169 रकबा 0.02 है0 भूमि विभाजन के बाद दर्ज हुई है और आराजी संख्या 251 / 169 रकबा 0.84 है0 भूमि नारायण लछमण पारस पिता नानुराम घीसी बेवा नानुराम गुर्जर के नाम तथा आराजी संख्या 250 / 169 राजु पिता दयाराम गुर्जर निवासी गलवा के नाम दर्ज होकर बैचान करने से प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुर्जर गलवा के नाम दर्ज है जो प्रार्थी व विपक्षी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज नही होकर अलग अलग खातो में दर्ज है। विपक्षी संख्या 3 के नाम पर साबिक आराजी संख्या 667 / 1 होना स्वीकार है जिसके नवीन नम्बर 168 दर्ज किये गये जो भी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के कॉलम 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। साबिक आराजी संख्या 667 / 1, आराजी संख्या 667 / 2 के उत्तरी दिशा में साबिक नक्शे में तरमीम नही है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नही की और न प्रार्थीगण के द्वारा किसी भी भूमि को अपने कब्जे बताया। साबिक नक्शे के अनुरूप ही वर्तमान नक्शा कायम किया है और मौके की स्थिति के अनुरूप ही नवीन नक्शा कायम किया है। प्रार्थीगण द्वारा नवीन आराजी संख्या 168 को आराजी संख्या 169 के उत्तर में तरमीम कराने का जो तथ्य रिलीफ में अंकित किया है किन्तु आराजी संख्या 169 के उत्तर में आराजी संख्या 80, 244 / 170 आती है जिसके खातेदार को उसमें पक्षकार नही बनाया गया है। विपक्षीगण आराजी संख्या 251 / 169 के खातेदार है के द्वारा दुरस्ती कराने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है और उनकी खातेदारी की भूमि में दुरस्ती कराने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार नक्शे में तरमीम किसके द्वारा किस समय गलत और त्रुटीपूर्ण की गई इसका कोई अंकन नही है साबिक आराजी संख्या 667 / 1 और 667 / 2 का रकबा काफी कम ज्यादा होकर 1 बीघा और 7 बीघा 18 बिस्वा था जिसका गलत तरमीम होने का कोई कारण नही बनता है। उसके बाद उक्त नम्बरान के साबिक नम्बर मे भी पक्षकारान के मध्य बंटवारा हुआ है और नवीन नम्बरान में भी बंटवारा हुआ है और नवीन नक्शे में बंटवारे की तरमीम भी हो चुकी है प्रार्थीगण और विपक्षीगण उनके अनुसार काबिज है। आराजी संख्या 168 पर विपक्षी का कब्जा है और भूमि उनके नाम पर भी है। [illegible] हुए बंटवारे में को चुनौति नही देकर केवल सेटलमेन्ट की त्रुटी दुरस्त कराना [illegible] उसमें भी सभी पक्षकारान की सहमति आज्ञा पत्र प्रार्थीगण आराजी संख्या 168 को [illegible] कराना चाहता इसको आराजी संख्या 251 / 169 में तथा आराजी संख्या 244 / 177 व आराजी संख्या 80 में तरमीम कराना चाहता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:30:03 IST
Reason: SelfAttested

जबकि इन आराजियात के खातेदारान द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत बेबुनियाद आधारहीन व झुठे तथ्यो पर आधारित होने से खारीज फरमाया जावे।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि आराजी संख्या 168 रकबा 0.22 है0 भूमि भैरा प्यारा उदा पिता हीरा गुर्जर (विपक्षी 1 से 3) के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त नम्बर साबिक आराजी संख्या 667 / 1 रकबा 1 बीघा से बना है आराजी संख्या 168 पर वर्तमान में लोहे की जाली ओर सीमेन्ट के पिल्लर लगा रखे है उक्त आराजी की उत्तरी मेड़ पर विपक्षीगणो के द्वारा सीमेन्टेड पिल्लर लगा रखे है एवं इसी आराजी के पूर्वी मेड़ पर प्रार्थीगण द्वारा लोहे की जाली लगा रखी है आराजी संख्या 168 प्रार्थीगण के कब्जे में होना लिखा है जो मौके पर पड़त पड़ा हुआ है। आराजी संख्या 250 / 169 रकबा 0.85 है0, 252 / 169 रकबा 0.02 है0, खातेदार प्रेमदेवी के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 251 / 169 रकबा 0.84 है0 की उत्तरी पूर्वी दिशा मे 0.22 है भूमि पर विपक्षीगण भैरा प्यारा उदा पिता हीरा का कब्जा होना स्वयं विपक्षीगण द्वारा बताया गया। आराजी संख्या 168 (साबिक आराजी संख्या 667 / 1) आराजी संख्या 169 (साबिक आराजी संख्या 667 / 2) के उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित था जिसको भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी संख्या 667 / 2 के दक्षिण दिशा में दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान नक्शे में चला आ रहा है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा की साबिक आराजी संख्या 667 / 2 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा के नवीन नम्बर 169 रकबा 1.71 है0 बना जो विभाजन से वर्तमान में 250 / 169, 251 / 169, 252 / 169 दर्ज हुए जो विपक्षी संख्या 4 से 7 व प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी थी। साबिक आराजी संख्या 667 / 1 आराजी संख्या 667 / 2 के साबिक नक्शे में उत्तर दिशा में तरमीम था जो भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा त्रुटी कर दी जिसको दुरस्त कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 168 पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है। साबिक के मुकाबले नया रेकार्ड में भूल हुई है उसकी प्रकिया पुरी की गई है। विपक्षी कब्जे में दखल करने लगे तब जानकारी हुई और जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र पेश किया। साबिक नक्शा ओर नवीन नक्शा की प्रमाणित प्रति पेश की गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 129, 131, 136 के तहत् पेश किया गया धारा 129 और 131 के अधिकार तहसीलदार का है और 136 लिपीकिय भूल दुरस्त करने का प्रावधान है जो श्रीमान के न्यायालय द्वारा किया जाता है। सेटलमेन्ट में भूल होने का अंकन नही किया है। आराजी संख्या 169 के उत्तर में अन्य खातेदारो के भूमि है जो प्रार्थना में हितबद्व पक्षकार नही हैं। आराजी संख्या 250 / 169, 251 / 169, बंटवाड़े से दर्ज हुए है न्यायालय डिकी पारित हुई है न्यायालय द्वारा मौका स्थिति के अनुसार डिकी पारित की गई। बिना घोषणा के 136 में शुद्धि नही की जा सकती है। भूप्रबन्ध विभाग से भूल होना प्रार्थना पत्र में अकिंत नही किया। कब्जा होना हमने स्वीकार नही किया। प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र के साथ साबिक नक्शे की प्रति पेश की गई जिसमें साबिक खसरा नम्बर 667 / 1 एवं 667 / 2 की तरमीम की हुई है जिसमें आराजी संख्या 667 / 1 साबिक नक्शे में उत्तर दिशा की ओर तरमीम है एवं आराजी संख्या 667 / 2 की तरमीम दक्षिण की ओर है अर्थात आराजी संख्या 667 / 1 आराजी संख्या 667 / 2 के उत्तर की ओर स्थित था। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 667 / 1 के नवीन खसरा नम्बर 168 एवं 667 / 2 के नवीन खसरा नम्बर 169 बनाये गये। नवीन नक्शे में नवीन खसरा नम्बर 168

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:30:03 IST
Reason: SelfAttested

को साबिक नक्शे में अकिंत स्थल पर दर्ज नही कर साबिक आराजी संख्या 667 / 2 के दक्षिणी पूर्वी भाग पर दर्ज कर दिया गया है जो साबिक के मुकाबले गलत दर्ज हुआ है मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 168 के खातेदारो का कब्जा साबिक नक्शे के अनुरूप स्थल पर ही है जो नवीन नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 251 / 169 के उत्तरी पश्चिमी भाग पर है। नक्शे में जहां पर आराजी संख्या 168 को दर्शा रखा है उस जगह मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी संख्या 168 के खातेदार का कब्जा नही होकर प्रार्थीगण का कब्जा होना तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा बहस में अंकन किया कि धारा 129, 131 के अधिकार श्रीमान को नही है एवं भू प्रबन्ध के दौरान भूल होना प्रार्थना पत्र में अकिंत नही किया जिससे 136 की श्रेणी प्रार्थना पत्र नही आता है विचाराधीन प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हुई भूल को दुरस्त कराने का निवेदन किया है जबकि विपक्षी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थना पत्र में भू प्रबन्ध के दौरान हुई त्रुटी का अंकन नही किया है यह कथन विपक्षी अधिवक्ता का स्वीकार योग्य नही है प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत् पेश हुआ है जो लिपीकिय भूल को सुधार करने से सम्बधित है और इस प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा त्रुटी होना साबिक और हाल नक्शे एवं मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का खेमाणा के ग्राम गोविन्दपुरा के नवीन आराजी संख्या 251 / 169 रकबा 0.84 है0 भूमि मे से 0.22 है0 भूमि उत्तरी पश्चिमी भाग पर मौका स्थिति अनुसार खातेदार नारायण पारस लछमण पिता नानुराम घीसी पत्नि नानुराम के बजाय उदा प्यारा भैरा पिता हीरा के नाम दर्ज की जावे और इस रकबे के बजाय आराजी संख्या 250 / 169 रकबा 0.85 है0 मे से 0.22 है0 भूमि आराजी संख्या 250 / 169 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम तक मौका स्थिति अनुसार प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल के बजाय नारायण पारस लछमण पिता नानुराम घीसी पत्नि नानुराम के नाम दर्ज की जावे। आराजी संख्या 168 रकबा 0.22 है0 भूमि खातेदार उदा प्यारा भैरा पिता हीरा के बजाय प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल के नाम दर्ज की जाकर राजस्व नक्शे में इसी अनुसार संशोधित तरमीम की जावे। इसी अनुसार हुक्मनामा जारी कर पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/08/2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (रायपुर भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.09 13:30:03 IST
Reason: SelfAttested